मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
--

क्रमांक एफ 5/150/85/10-3 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 1987.

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (विकास),
म०प्र० भोपाल.

विषय:- झाबुआ, गुना तथा शिवपुरी जिलामें एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन हेतु 76.32 हेक्टर वन भूमि गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- शासन का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 3.6.86 Page. 456 पत्रावली संख्या

--

शासन के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के पालन में गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमि. ने उनके ज्ञापन क्रमांक यू.जे.एन./एच.बी.जे.इज/1/(13) 86/955। दिनांक 3.12.86 के साथ संबंधित वन मंडलाधिकारियों से राजस्व भूमि तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रेषित कर सूचित किया है कि गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमि. ने वैकल्पिक वृक्षारोपण व्यय का भुगतान कर दिया है तथा संबंधित कलेक्टर्स ने वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध करा दी है।

पत्रावली संख्या Page 471

2. उपरोक्त जानकारी के आधार पर शासन के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 6.3.86 से भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-407/85/ एफ.सी. दिनांक 26.5.86 से प्राप्त अनुमति के अनुसार राज्य शासन द्वारा गुना और शिवपुरी वन मंडलों के विभिन्न कम्पार्टमेंटस में 20 मीटर चौड़ी पट्टी पर 25.440 किलोमीटर गैस पाइप लाइन डालने हेतु 50.880 हेक्टर (9.8 हेक्टर झाबुआ, 25.466 हेक्टर गुना एवं 15.614 हेक्टर शिवपुरी में) वनभूमि में खड़े हुए वृक्षों के विभागीय विदोहन के उपरांत निम्नलिखित शर्तों पर गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड को उपयोग पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा। वन भूमि पर स्वत्वाधिकार वन विभाग का ही रहेगा। गैस अथार्टी आफ इंडिया को केवल वन भूमि के उपयोग की अनुमति होगी।

(2) राजस्व विभाग से प्राप्त वैकल्पिक भूमि पर प्राप्त वृक्षारोपण व्यय से शीघ्र वृक्षारोपण किया जाय।

(3) पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण संबंधी दिये गये सुझावों का शीघ्रता से पालन कराया जाय।

(4) लाइन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों द्वारा जलाऊ लकड़ी के लिए वन को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावे। इस हेतु गैस अथार्टी आफ इंडिया द्वारा श्रमिकों को निःशुल्क जलाऊ लकड़ी प्रदाय की जावे या उसकी कीमत श्रमिकों की आय से वसूल की जाय।

फिर

329
21.1.87

(5) कार्यरत श्रमिकों/अमले द्वारा वनोपज को यदि कोई क्षति पहुँचाई जायेगी तो उसके लिये अथार्टी उत्तरदायी होगी और हानि का मुआवजा उनसे वसूला जायेगा ।

(6) गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमि॰ से लिखित वचन पत्र लिया जाय कि प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जायेगी तो उन्हें मानने के लिए वे बाध्य होंगे ।

(7) तीनों जिलों की प्राप्त राजस्व भूमि को वन भूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्राप्त कर शासन को शीघ्र भेजें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अशोक मनोह)
उप सचिव
म॰प्र॰शासन, वन विभाग

पृ॰क्रमांक एफ 5/150/85/10-3 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 1987.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल
2. वन संरक्षक, इन्दौर/ग्वालियर ।
3. कलेक्टर झाबुआ/गुना/शिवपुरी को अग्रेषित कर निवेदन है कि वन विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि को राजस्व क्षेत्र से निष्कासित करने की अधिसूचना राजस्व विभाग को शीघ्र भेजें ।
4. वन मंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल झाबुआ/गुना/शिवपुरी को अग्रेषित कर निवेदन है कि राजस्व भूमि को वन भूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना मुख्य वन संरक्षक को शीघ्र भेजें ।
5. सीनियर मैनेजर (पी/एल) गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड एच॰वी॰जे॰ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 45 सुभाष नगर उज्जैन 456010 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
म॰प्र॰शासन, वन विभाग